

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21क

[नियम 11 (1) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

1. श्री खीरू महतो (नाम), ग्राम- केदला, थाना-मांडू, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) 825325 (पता), जो जनता दल (यूनाइटेड) (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं;

2. डॉ० फैयाज अहमद (नाम), राधोनगर, भौआरा, नगर परिषद् मधुबनी, पोस्ट- भौआरा, जिला- मधुबनी (पता), जो राष्ट्रीय जनता दल (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं;

3. श्रीमती मीसा भारती (नाम), 208, कौटिल्य नगर, एम०पी०एम०एल०ए० कॉलोनी, पोस्ट- बी०भी० कॉलेज, जिला-पटना (पता), जो राष्ट्रीय जनता दल (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ी की गई हैं;

4. श्री शंभू शरण पटेल (नाम), ग्राम+पोस्ट- छठियारा, थाना- करण्डे, जिला- शेखपुरा, पिन- 811304 (पता), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं;

5. श्री सतीश चन्द्र दूबे (नाम), ग्राम- हरसरी, पोस्ट- नरकटियागंज, जिला- पश्चिम चम्पारण, 845455 (पता), जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं;

उस सदन में पाँच सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 07 जुलाई, 2022 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 03 जून, 2022

(शैलेन्द्र सिंह)

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर

राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21A

[See rule 11(1)]

(For use in General Election when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under Sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar (State).

In pursuance of the provisions contained in Sub-section (2) of section-53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that -

1. **Khiru Mahto** (Name), Vill- **Kedla**, P.S.- **Mandu**, Dist.- **Ramgarh (Jharkhand)** 825325 (Address) Sponsored by **Janata Dal (United)**;

2. **Dr. Faiyaz Ahmad** (Name), **Raghnagar**, **Bhowara**, **Nagar Parishad Madhubani**, Post- **Bhowara**, Dist.- **Madhubani** (Address) Sponsored by **Rashtriya Janata Dal**;


3. **Misha Bharti** (Name), **208**, **Kautilya Nagar**, **M.P.M.L.A. Colony**, Post- **B.V.College**, Dist.- **Patna** (Address) Sponsored by **Rashtriya Janata Dal**;

4. **Shambhu Sharan Patel** (Name), Vill+Post- **Chhathiyara**, P.S.- **Karande**, Dist.- **Sheikhpura**, Pin- **811304** (Address) Sponsored by **Bharatiya Janata Party**;

5. **Satish Chandra Dubey** (Name), Vill- **Harsari**, Post- **Narkatiyaganj**, Dist- **West Champaran**, **845455** (Address) Sponsored by **Bharatiya Janata Party**

has been duly elected to fill the seats in that House of five members retiring on 07th July, 2022 on the expiration of their term of office.

Place : Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya
Date : 03rd June, 2022


(Shailendra Singh)
Returning Officer
Returning Officer
for Biennial Election
to the Council of States